बाल विधानसभा 14 नवंबर को पारित प्रस्ताव

समाज कल्याण विभाग –

1. प्रदेश में समेकित बाल संरक्षण योजना को समग्रता के साथ लागू करने के लिए प्रदेश से ग्राम स्तर की संस्थाओं का गठन किया जाय जिसमें प्रदेश स्तर पर समेकित बाल संरक्षण योजना के लिए एक पूर्ण कालिक निदेशक नियुक्त किया जाए। राज्य स्तर पर योजना के तहत राज्य बाल संरक्षण समिति/इकाई का, जिला स्तर पर जिला बाल संरक्षण समितियां, ब्लॉक बाल संरक्षण समितियां और ग्राम पंचायत स्तर पर ग्राम बाल संरक्षण समितियां गठित की जाय। इसके साथ ही दत्तक ग्रहण संस्था (SARA) और दत्तक ग्रहण के लिए विशेष दत्तक ग्रहण एजेंसी (SAA) को नियुक्त किया जाय।
2. प्रदेश के कुमाऊँ मण्डल में 2 बाल गृह पिथौरागढ़ और हल्द्वानी में और गढ़वाल में 2 बाल गृह टिहरी और पौड़ी में खोले जाए ताकि संरक्षण को जरुरतमंद बच्चों को उचित आश्रय मिले। इन गृहों में योजना के प्रावधानों के अनुसार विशेषज्ञ देखभाल वाले कर्मचारी और अधिकारी नियुक्त किए जाए।
3. वर्ष 2012 के विकलांगता दिवस पर विशेष जरुरत वाले बच्चों के लिए गढ़वाल और कुमाऊँ में 1–1 विशेष आवश्यकता वाले बाल गृह खोलने की घोषणा हमारी सरकार ने की थी। इस घोषणा को अमल में लाते हुए इन दोनों मण्डलों में विशेष गृहों का निर्माण यथाशीघ्र कराया जाय ताकि सामान्य बच्चों की भांति प्रदेश में रह रहे विशेष जरुरत वाले बच्चे भी सम्मान पूर्वक अपना जीवन जी सकें।
4. निदेशक समेकित बाल संरक्षण योजना की नियुक्ति के साथ ही राज्य बाल संरक्षण इकाई का कार्यालय खोला जाय।
5. प्रत्येक जिलों में बाल संरक्षण इकाईयों, बाल कल्याण समितियों, किशोर न्याय बोर्डों के कार्यालय खोले जाए ताकि ये समितियां और बोर्ड अपने कार्य और दायित्वों का निर्वहन कर पाए।
6. बाल संरक्षण योजना को लागू करने के लिए स्वीकृत 249 पदों पर भर्ती यथा शीघ्र की जांए ताकि योजना के कार्य समय पर और सही तरीके से किए जा सकें।
7. बाल कल्याण समितियों एवं किशोर न्याय बोर्डों का पुनर्गठन डेढ़ वर्ष से लंबित है। वर्तमान में बाल कल्याण समितियां सुचारु रुप से काम नहीं कर रही हैं इसलिए पुनर्गठन पर तुरंत कार्यवाही हो और इसके लिए जो सरकार की तरफ से बाल कल्याण समितियों, किशोर न्याय बोर्डों के सदस्यों की चयन समिति बनायी जानी हैं उसका पुनर्गठन यथा शीघ्र किया जाय।
8. विभाग को बाल संरक्षण और सुरक्षा के कार्यो में पुलिस, चिकित्सा, श्रम और शिक्षा विभाग के साथ मिलकर काम करना होता है माननीय मुख्य मंत्री जी की तरफ से इन सभी विभागों को निर्देशित किया जाय कि ये विभाग निश्चित समय में आपसी तालमेल की समीक्षा करें जिसकी अपेक्षा समेकित बाल संरक्षण योजना में भी की गई है।
9. बाल सुधार गृह में रह रहे बच्चों को वोकेसनल ट्रेनिग दी जाय।
10. हर जिले में शारीरिक रुप से अक्षम बच्चों के लिए कम से कम 1 विद्यालय होना चाहिए जिसमें इन बच्चों के लिए हर प्रकार की सुविधा उपलब्ध हो।
11. अनाथ बच्चों को उच्च शिक्षा में 5 प्रतिशत आरक्षण दिया जाय।

बाल विधानसभा 14 नवंबर को पारित प्रस्ताव

बाल श्रम –

1. हमारा विभाग अपने स्तर से बाल श्रमिकों का सर्वेक्षण करवाता है लेकिन इसमें बाल श्रमिकों की वास्तविक स्थिति स्पष्ट नहीं हो पा रही है जबकि 2011 की जनगणना में बाल श्रमिकों के भयावह आंकड़े सामने आये हैं। जैसे कि सुझाव आये हैं कि स्वतंत्र ऐजेसियों से सर्वेक्षण करवाने की जरुरत है तो बाल श्रमिकों की स्थिति जानने के लिए कुमाऊं और गढ़वाल विश्वविद्यालयों के छात्रो से सर्वेक्षण करवाये जाय ताकि एक बार बाल श्रमिकों की वास्तविक स्थिति स्पष्ट हो जाए तो बाल श्रमिकों की मुक्ति एवं उन के पुनर्वास के लिए समाज कल्याण विभाग कार्य योजना तैयार कर सके।
2. पिछले वर्ष से बाल श्रम उन्मूलन के लिए जिला स्तर पर टास्क फोर्स बनाने की जो कार्यवाही चल रही है उस पर विभागीय स्तर से प्रभावी रुप से कार्यवाही हो। सभी जिलों में टास्क फोर्स गठन शीघ्र पूरा किया जाय और कानूनी प्रावधानों के अनुरुप ये टास्कफोर्स अपने कार्यो को नियमित करना शुरु करें इसके लिए आवश्यक संसाधन उपलब्ध कराये जांए। टास्क फोर्स बाल श्रमिकों को मुक्त करा कर बाल कल्याण समिति के सामने प्रस्तुत करे।
3. बाल श्रम से जुड़े विभागों के काम काज को प्रभावी बनाने के लिए दिशा निर्देश करके बाल श्रम कानून के तहत 'स्टेट एक्शन प्लान' बनाया जाए और इसके आधार पर सभी विभागों को इस स्टेट प्लान के अनुरुप कार्य करने को निर्देशित किया जाए।
4. केदारघाटी में बड़ी संख्या में मारे गए स्थानीय बच्चे वहां बाल श्रमिक के तौर पर कार्य कर रहे थे, समाचार पत्रों में भी चित्रों के साथ बाल श्रम के समाचार लगातार प्रकाशित हो रहे हैं। इस यथार्थ को देखते हुए सभी पर्यटन और तीर्थाटन क्षेत्रों को चिन्हित कर जिले की टास्क फोर्स को त्वरित कार्यवाही के लिए संसाधन उपलब्ध किए जाए।
5. प्रदेश मे अन्य प्रदेशों से आये मजदूरों का अनिवार्य रुप से पंजीकरण किया जाय। प्रत्येक ठेकेदार को अनुबंध के साथ ही श्रमिकों के पंजीकरण करवाने के प्रावधान जोड़े जाए।
6. बाल कल्याण समितियों, किशोर पुलिस इकाई और श्रमायुक्तों के बीच तालमेल के लिए राजाज्ञा जारी की जाय और इसके लिए इन विभागों की जवाबदेही तय की जाय।
7. केंद्र सरकार की तर्ज पर प्रदेश सरकार की ओर से अधिसूचना जारी करके बाल श्रम रोकने के लिए समग्रता से कार्य योजना बनायी जाय। इसके लिए लेबर विभाग में पर्याप्त कर्मचारी और संसाधन उपलब्ध कराये जांए।
8. बाल श्रम से मुक्त कराये बच्चों को पहचान पत्र दिया जाय और उन्हें 12 वीं तक की शिक्षा मुफ्त दी जाय।
9. बाल श्रमिकों के परिवारों को रोजगार मुहैया किया जाए और उन परिवारों को विशेष योजना के तहत राशन और आवास मुहैया किया जाय।

बाल विधानसभा 14 नवंबर को पारित प्रस्ताव

शिक्षा विभाग –

1. उच्च स्तरीय कमेटी गठित कर प्रदेश के सभी निजी स्कूलों के स्वघोषणा पत्रों की जांच करवाई जाए और जो स्कूल नर्सरी से संचालित है एवं अंग्रेजी भाषा में संचालित हैं, उनकी मान्यता उसी के अनुसार प्रदान की जाए ताकि न्यूनतम कक्षा से आर.टी.ई. का अनुपालन हो सके। इसके लिए कानूनों मे संसोधन किया जाय।
2. प्रदेश के सभी निजी स्कूलों के अध्यापकों की नियुक्ति का परीक्षण किया जाए कि वे आर.टी.ई मानकों पर खरे उतरते हैं या नहीं। इसके लिए तत्काल प्रभाव से आवश्यक कार्यवाही करना सुनिश्चित किया जाय ताकि प्रदेश के निजी विद्यालयों में भी मानवीयता आधारित गुणवत्ता की शिक्षा नौनिहालों को मिले।
3. सी.बी.एस.सी. अथवा आई.एस.सी परीक्षा संचालित करने वाले बोर्ड हैं, न कि स्कूल संचालन की मान्यता देने वाली संस्थाए। शिक्षा राज्यों का विषय है, अतः राज्य में संचालित सभी स्कूलों की मान्यता राज्य सरकार को देनी चाहिए, उसी मान्यता के आधार पर किसी अन्य बोर्ड से संबद्धता की एन.ओ.सी जारी की जाए इसके लिए आवश्यक कानून संसोधन किए जाए।
4. प्रदेश के सभी जिलों में अल्पसंख्यक स्कूलों का सत्यापन किया जाए एवं केन्द्र सरकार के निर्देशानुसार सर्वोच्च न्यायालय के फैसले को छोड़ कर आर.टी.ई की अन्य धाराएं लागू करवाई जाए। ताकि अल्पसंख्यक समुदाय के बच्चों को भी गुणवत्तायुक्त शिक्षा मिल सके और वे समाज की मुख्यधारा में आ सकें।
5. सरकारी स्कूलों में अध्यापकों की नियुक्ति पर्याप्त नहीं है। आर.टी.ई. के अनुसार एकल शिक्षक विद्यालय नहीं हो सकते, एक्ट का ग्रेस पीरियड समाप्त हो गया है इसलिए राज्य में सभी 1689 प्राथमिक एवं 129 उच्च प्राथमिक विद्यालय जो एकल शिक्षक के चल रहे है उनमें 3 माह के भीतर शिक्षकों की नियुक्ति की जाय।
6. देखने में आया है कि बच्चे खासकर लड़कियां टॉयलेट–यूरिनल की व्यवस्था न होने से अनुपस्थित रहती हैं और उनके स्वास्थ्य पर इससे बुरा प्रभाव हमारे स्वास्थ्य परीक्षणों में भी सामने आया है। राज्य के सभी स्कूलों में शौचालय और मूत्रालय निर्माण कर उनके रख–रखाव के लिए व्यवस्था की जाय ताकि बच्चे स्कूलों में स्वच्छता के साथ अच्छे स्वास्थ्य सुरक्षा के भरोसे के साथ अपनी पढ़ाई सुचारु कर सके।
7. राज्य में पेयजल, विद्युत, फर्नीचर, कम्प्यूटर, खेल का सामान, चारदीवारी, पुस्तकालय विहीन विद्यालयों को चिन्हित कर उनमें ये सभी व्यवस्थांए करने के लिए 6 माह के भीतर बजट जारी किया जाए।
8. किसी एक विद्यालय में भी सफाई कर्मचारी नियुक्त नहीं किया गया, अनेक जगहों पर पंचायतों के पास भी सफाई कर्मचारी नहीं हैं। इसके लिए 6 माह के भीतर बजट की व्यवस्था की जाए, ताकि अधिनियम की भावना के अनुरुप बच्चों से सफाई का काम करवाया जाना बन्द हों।

9. सर्वोच्च न्यायालय के फैसले आर.टी.ई अधिनियम का सम्मान करते हुए चुनाव आयोग संबंधित डयूटी भी शिक्षण कार्य दिवस के समय नहीं लगाई जायेगी इसके लिए सभी जिलाधिकारी, उप जिलाधिकारियों और शिक्षा अधिकारियों को निर्देश जारी किया जाय ताकि बच्चों की नियमित पढ़ाई में व्यवध्यान न आये।
10. खेलों को बढ़ावा देने के लिए हर विधानसभा क्षेत्र में कोचिंग सेंटर खोले जाने चाहिए और पूर्व खिलाड़ियों द्वारा उन्हें प्रशिक्षित किया जाना चाहिए।
11. जल्द से जल्द पेयजल की व्यवस्था की जानी चाहिए।
12. स्कूलों में लड़कियों को आत्मसुरक्षा के प्रशिक्षण दिए जाने चाहिए।
13. स्कूलों में व्यक्तित्व विकास, प्रोत्साहन व आत्मविश्वास विकास की कक्षाएं चलाई जानी चाहिए।
14. क्षेत्रीय बोली–भाषा और सांस्कृतिक शिक्षा का ज्ञान दिया जाना चाहिए।
15. अंग्रेजी शिक्षा को प्रभावशाली बनाया जाय।
16. शिक्षा में सीखने, प्रयोगात्मक ज्ञान बढ़ाने की कोशिश होनी चाहिए।
17. भविष्य की योजना बनाने मे और कैरियर कांउसलिंग में स्कूल मदद करें।
18. नैतिक शिक्षा अनिवार्य रुप से पढ़ाई जाए ताकी सही गलत का फर्क बच्चे कर सकें।
19. निजी स्कूलों के शिक्षकों की गुणवत्ता जांची जानी चाहिए।
20. प्रत्येक स्कूलों में लड़कियों के शौचालयों के साथ चेजिंग रुम होने चाहिए।

बाल विधानसभा 14 नवंबर को पारित प्रस्ताव

गृह मत्रालयः–

माननीय अध्यक्ष जी आपकी अनुमति से मैं निम्न प्रस्ताव स्टैंडिग कमेटी की चर्चा के लिए रख रहा हूं ताकि इनका अनुमोदन सदन में होने के बाद राज्य सरकार को इन्हें प्रेषित किया जा सके–

1. राज्य के प्रत्येक जिले में पोक्सो अदालतों को मजबूत किया जाए, इनमें जजों के साथ पोक्सो एक्ट पर प्रशिक्षण किए जाए ताकि पोक्सो अधिनियम के तहत पीड़ित को समय पर और कानून सम्मत न्याय और सहायता मिल सके।
2. पोक्सो अदालतों में 7 वर्ष के अनुभवी वकीलों को रखा जाय जिनकी शीघ्र नियुक्ति की जाय।
3. प्रत्येक जिले में विशेष किशोर पुलिस इकाईयों से जुड़ें प्रत्येक अधिकारी को किशोर न्याय अधिनियम, पोक्सो एक्ट और बालश्रम कानूनों पर हर वर्ष प्रशिक्षण दिए जांए जिसके लिए आवश्यक बजट के प्रावधान विभाग करे।
4. सभी विशेष किशोर पुलिस और थानों को निर्देशित किया जाय कि यौन अपराध से जुड़े मामलों को बिना विलम्ब दर्ज कर कानून सम्मत कार्यवाही करनी सुनिश्चित हो।
5. सभी पुलिस अधिकारियों को निर्देश दिया जाए कि वे बच्चों से जुड़े संरक्षण और सुरक्षा के सभी मामले जिले में गठित बाल कल्याण समितियों और कानून उल्लघंन में फंसे बच्चों के मामले किशोर न्याय बोर्ड के समक्ष ही रखें।
6. प्रत्येक क्षेत्र में पुलिस थाना होना चाहिए और उसमें महिला कर्मचारी तथा सारी सुविधाए होनी आवश्यक है।

बाल विधानसभा 14 नवंबर को पारित प्रस्ताव

आपदा संबंधित प्रस्ताव

1. आपदा में प्रभावित अनाथ बच्चों के लिए उनके मूल जिलों में चाइल्ड होम बनवाये जाए।
2. आपदा प्रभावित क्षेत्रों के व्यक्तियों को आपदा के बारे में प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए।
3. आपदा के पहले ही सभी क्षेत्रों में आपदा के बारे में और उनसे बचाव के प्रशिक्षण और इसके समूह होने चाहिए।
4. विद्यालयों में आपदा प्रबंधन समिति और उनके आपदा प्लान बनाये जाने चाहिए।